(२१)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2216–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–03–2015 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त खुजनेर क्र0 3, जिला–राजगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक क्यू/सीमा./2015.

.....

1– सिद्दूलाल आत्मज श्री डूगा
2– जगदीश आत्मज श्री सिद्दूलाल
दोनों निवासी – रसलपुरा
तहसील व जिला–राजगढ़ (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

सुन्दरबाई पत्नी श्री राजाराम
निवासी – रसलपुरा
तहसील व जिला–राजगढ़ (म0प्र0)

..... अनावेदिका

.....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17 अगस्त 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त खुजनेर क्र0 3, जिला–राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–03–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका सुन्दरबाई पत्नि राजाराम द्वारा ग्राम रसलपुरा की भूमि सर्वे कमांक 153/1/1 रकवा 0.437 एवं 153/2/1 रकवा 0.437 के सीमांकन हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 15–3–2015 के द्वारा सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की। राजस्व निरीक्षक के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकों के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि किसी पक्षकार को सूचना पत्र जारी किये बिना ही सम्पूर्ण सीमांकन की कार्यवाही की गई जो त्रुटिपूर्ण है। सीमांकन प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामे पर आवेदकों के हस्ताक्षर नहीं है तथा सीमांकन में सम्पूर्ण रकबे पर आवेदकगणों का कब्जा दर्शाया है जो त्रुटिपूर्ण है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन के संबंध में प्रकरण दर्ज नहीं किया तथा फील्ड बुक भी नहीं बनाई है।

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार किया तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदिका सुन्दरबाई पत्नि राजाराम ने ग्राम रसलपुरा की भूमि सर्वे कमांक 153/1/1 रकवा 0.437 एवं 153/2/1 रकवा 0.437 के सीमांकन हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 15–3–2015 के द्वारा सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की, जिसमें मोहनल पिता सिद्दुलाल एवं जगदीश पिता सिद्दुलाल का कब्जा पाया गया। सीमांकन के समय स्थल पंचनामो पर आवेदक कमांक 2 जगदीश पिता सिद्दुलाल ने हस्ताक्षर करने से इंकार करने का लेख है। इससे यह प्रकट होता है कि आवेदक को सीमांकन की सूचना थी। इस न्यायालय में आवेदकगण उक्त सीमांकन में किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार है, स्पष्ट नहीं कर सके। आवेदकगण द्वारा याचिका के साथ स्वयं के भूमिस्वामित्व के खसरे की प्रति एवं नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे आवेदकगण के हितबद्ध होना प्रमाणित हो

सके। इसके अतिरिक्त आवेदकगण यदि उक्त सीमांकन से असंतुष्ट है तो वह स्वयं अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का औचित्य नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर